न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 109/2021 (धारा 75 भू राजस्व अधि0 1956) (RCMS No.2021/118)

1. टीकमसिंह पुत्र नत्थीसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
2. मोहनसिंह } पुत्रान देवीसिंह } जाति जाट निवासी बछामदी तहसील व
3. रनवीर } जिला भरतपुर।
4. राजेन्द्र } पुत्रान जवाहर
5. रामवीर }

.....अपीलान्टस

बनाम

1. भोला पुत्र मंगू जाति जाटव निवासी ग्राम बछामदी तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर मु0नं0 316/2016 भोला बनाम सरकार दिनांक 10.11.2021 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील अपीलान्टस।
2. श्री प्रमोद उपमन वकील रैस्पोडेन्ट।
3. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 14.08.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 भोला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि ''प्रार्थी की साविक आराजी खसरा नम्बर 1520 मिन रकबा 2 बीघा (32 ऐयर) वाकै ग्राम बछामदी 0 1 तहसील व जिला भरतपुर से बन्दोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1293/0.04 है0 निर्मित किया है जो 28 ऐयर रकबा कम बनाया है। पडौसी खातेदान/अप्रार्थीगण (रैस्पोडेन्टस) के साविक खसरा नम्बर 1611 रकबा 14 विस्वा, 1610 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा, 1614 रकबा 4 विस्वा (31 ऐयर) वाकै ग्राम बछामदी नं0 1 तहसील भरतपुर से हाल खसरा नम्बर 1291/0.13, 1292/0.13, 1294/0.27 कुल 55 ऐयर बनाये है जो 24 ऐयर वेशी है।

14.8.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बन्दोबस्त विभाग ने हाल नक्शा अक्स को भी साविक नक्शा से भिन्न दर्शाया है जिसको दुरूस्त किया जावे। तहत अदालत द्वारा वाद कार्यवाही प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2021 के तहत यह आदेश दिये कि ग्राम बछामदी में स्थित प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट भोला के हाल खसरा नम्बर 1293/0.04 में 24 ऐयर रकबा वढाकर अप्रार्थीगण/अपीलान्टस के हाल खसरा नम्बर1294/0.27 में से 0.10 है0, खसरा नम्बर 1291/0.15 में से 0.07 है0 एवं खसरा नम्बर 1292/0.13 में से 0.07 है0 कुल 24 ऐयर रकबा कम कर प्रार्थी/रैस्पोडेन्ट भोला के खसरा नम्बर 1293 के पूर्ति किये जाने के आदेश दिये गयें। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की वहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 विधिविरूद्ध तथा तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर साविक 1520 रकवा 2 वीघा वाकै वछामदी नं0 1 तहसील भरतपुर जिसका हाल खसरा नम्बर 1293 रकवा 04 ऐयर है निर्मित किया है, में कम आये 28 ऐयर रकबे की पूर्ति अपीलान्टान के खातेदारी के नम्बरों से की है। जबकि खसरा नम्बर 1520 मिन से अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित किसी भी भूमि का कोई रकबा रैस्पो0 प्रार्थी का नहीं है। वरन् भू प्रवन्ध विभाग द्वारा अपीलान्टस की खातेदारी में स्थित भूमि का रकवा ही पूरा किया गया है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं कर वहुत वडी कानूनी त्रुटि की है कि भोला पुत्र मंगू जाटव द्वारा पूर्व में भी धारा 88, 89 व 188 आरटी एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर के यहां दावा प्रस्तुत किया था जो कि खारिज हो गया था। इसके वाद तथ्यों को छिपाते हुए अदालत हाजा में प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसे अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार कर अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1291, 1292, 1294 से रकबा कम कर भोला की खातेदारी में स्थित भूमि के 28 ऐयर रकवे की पूर्ति की है। जवकि सैटिलमेन्ट बन्द हो जाने के बाद धारा 136 एल आर एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। वरन् रकबे की पूर्ति कराने हेतु सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद ही प्रस्तुत किया जावेगा। एक बार दावा खारिज होने के बाद समान खसरा नंबर व समान पक्षकारानों के बीच उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त न तो पटवारी हल्का की तरफ से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का ही अवलोकन किया और न ही सरकारी पैरोकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वरन् रैस्पोडेन्ट के कथन को ही आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि नियम विरूद्ध है। रैस्पोडेन्ट का विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। वरन् उक्त भूमि अपीलान्टस के कब्जे व काश्त की है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

14.8.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दो पक्षों के मध्य विवाद होने पर संबंधित पक्षकार को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिए बिना किसी प्रकार के कोई रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती। वरन् इसके लिए दावा पेश करना आवश्यक है। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने 2022 आर.बी.जे. पेज 618–619 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में आयोजित राजस्व कैम्प में अपीलान्टस के आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए थे, परन्तु गलत रूप से अपीलान्टस की सहमति मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 के द्वारा अपीलान्टस की खातेदारी में स्थित भूमि से 28 एयर रकबे की पूर्ति किए जाने का आदेश पारित किया है, जो कि गलत है। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित हाल खसरा नंबर 1291, 1292 व 1294 साविक खसरा नंबर 1610, 1611, 1611 मिन व 1614 से बने हैं। रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में स्थित साविक खसरा नंबर 1520 जिसका की काफी बड़ा नंबर था, से खसरा नंबर 1289 रकबा 94 एयर बनाया गया है, जो कि वर्तमान में गैर–मुमकिन पोखर दर्ज है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट को अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से पारित किया है। इसलिए 15 दिन तक अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली के बारे में अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी। रैस्पोडेन्ट को आवंटित तथाकथित भूमि पर रैस्पोडेन्ट का आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है और न ही रैस्पोडेन्ट की ओर से गैर खातेदारी में भूमि दर्ज होने का कोई रिकार्ड अदालत मातहत में पेश किया गया। चूंकि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 10.11.2021 को ग्राम बछामदी में राजस्व कैम्प प्रशासन गांव के साथ अभियान में अपीलान्ट के उपस्थित होने बाबत पत्रावली पर हस्ताक्षर कराये थे और कहा था कि उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर करा रहे हैं फैसला बाद में किया जाएगा। फिर भी न्यायालय तहत द्वारा बिना सुने ही अपीलान्ट के पीछे से अपीलाधीन आदेश पारित किए हैं, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को दिनांक 29.11.2021 को पता चला है कि उक्त प्रकरण के निर्णय हो चुका है। इस प्रकार से न्यायालय के आदेश में दुरभि संधि होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि रैस्पोडेन्ट भोला पुत्र मंगू जाति जाटव का देहान्त हो चुका है इसलिए मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिए जाने की कार्यवाही की जानी थी, परन्तु उक्त कार्यवाही किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने में भारी त्रुटी की है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पूर्व के वाद संख्या 116/15 में पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी गई थी इस रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने विवादित भूमि पर न तो रैस्पो0 का कोई कब्जा बताया गया और

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ना ही अपीलान्टान के खातेदारी के खसरा नम्बरान 1291, 1292, 1294 से प्रार्थी रैस्पोडेन्ट के रकबे की पूर्ति किया जाना उचित बताया गया है फिर भी सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल न कर बडे ही मनमाने ढंग से आदेश जेरे अपील पारित कर बहुत बडी भूल की है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। रैस्पोडेन्ट भोला का कभी भी किसी नम्बर पर कब्जा काश्त नहीं रहा और ना ही अब है। अपीलान्टान अपने खातेदारी के तीनों नम्बरों पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। खसरा नमबर 1293 पर भी मंदिर आदि अन्य लोगों ने बना रखे हैं उस पर भी रैस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है। साविक खसरा नम्बर 1611, 1610, 1614 से बनाये गये हाल खसरा नम्बर जो कि अपीलान्टस की खातेदारी में है, में से अपीलान्ट का रकबा पूरा किया गया है लेकिन रैस्पोडेन्ट का कोई रकबा अपीलान्ट के खसरा नम्बरों में वेशी नहीं है। यदि साविक खसरा नम्बर 1520 मिन का कोई रकबा अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1291, 1292, 1294 में गया होता तो ही रैस्पोडेन्ट के रकबे की पूर्ति की जा सकती थी, परन्तु इस तरह का कोई दस्तावेज अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड को देखे व परीक्षण किए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसलिए अपील अपलीान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है। जिसमें किसी तरह की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नहीं है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में साविक व हाल खसरा नंबर का रिकार्ड, मिलान क्षेत्रफल नक्शा, ट्रेस आदि पेश किया था। जहां तक विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में रैस्पोडेन्ट की ओर से पूर्व में दावा प्रस्तुत किए जाने तथा उक्त दावा खारिज किए जाने के कारण अदालत मातहत में धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत रैस्पोडेन्ट की ओर से पुनः प्रार्थना पत्र पेश नहीं किए जा सकने का प्रश्न है तो सी.पी.सी की धारा 11 में वर्णित रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दावा गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं होकर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट ने आर.बी.जे (17) 2010 पेज 207 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दावा गुणावगुण के आधार पर निर्णित होने की बजाय अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किए जाने पर सी.पी.सी के आदेश 11 में वर्णित रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वकील अपीलान्ट की ओर से इस तरह का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दावे को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया गया हो। रैस्पोडेन्ट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की

14.8.2023
सभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

धारा 136 के तहत अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार था। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि वकील अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.11.2021 को हुई। इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील के बिन्दु संख्या 4 में यह उल्लेख है कि दिनांक 10.11.2021 को वे अदालत हाजा में उपस्थित हुए थे तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किए थे। अर्थात् अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान किया गया था। वकील अपीलान्ट की ओर से अपीलान्ट की खातेदारी में अधिक आये रकबे के बारे में किसी तरह को कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि को ही भूप्रबन्ध संबंधी कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज किया हो। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट की खातेदारी में सेटलेमन्ट के दौरान अधिक रकबा आया है। अपीलान्ट के अदालत मातहत की पत्रावली पर जोर जबरदस्ती से हस्ताक्षर नहीं करवाए गए हैं। वरन् अपीलान्टस ने सहमति होने पर ही आदेशिका पर हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की भूमि पास-पास नहीं होकर दूर-दूर है तथा रैस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत में समस्त रिकार्ड प्रस्तुत किया था। जिसमें यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में स्थित भूमि दूर-दूर नहीं होकर नजदीक व चिपटी हुई है। तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व नियमानुसार रिकार्ड का अवलोकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2067-70, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण संख्या 1018 तथा नक्शा साविक व हाल का गहनता से अवलोकन किया गया है। उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी अर्थात रैस्पोडेन्ट भोला के साविक खसरा नम्बर 1520 मिन रकबा 2 बीघा से बन्दोवस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 1293/0.04 बनाया है जो बखूबी 28 ऐयर बनना प्रमाणित है। दूसरी तरफ अप्रार्थीगण अर्थात अपीलान्टस के साविक खसरा नम्बर 1611 रकबा 14 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 1291/0.15 व 1292/0.13 साविक खसरा नम्बर 1610 रकबा 1 बीघा 01 विस्वा व 1614 रकबा 04 विस्वा से हाल खसरा नमबर 1294/0.27 बनना प्रमाणित है जो स्पष्ट रूप से साविक के मुकाबले वर्तमान में 24 ऐयर वेशी रकबा निर्मित किया है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज से बन्दोवस्त विभाग द्वारा प्रार्थी यानि रैस्पोडेन्ट भोला का रकबा कम किया जाना तथा अप्रार्थीगण अर्थात अपीलान्टस का रकबा वेशी किया जाना रिकार्ड से बखूबी प्रमाणित है। इसके अलावा हाल नक्शा व साविक नक्शा से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट का रकबा आपस में चिपटमा है और पास-पास स्थित है इसलिऐ यह स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट का 24 ऐयर रकबा अपीलान्टस के खसरा नम्बरों में बन्दोवस्त विभाग ने सम्मलित कर अपीलान्टस का रकबा वेशी

14.8.23
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया था। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बन्दोवस्त विभाग को किसी भी खातेदारी के रकबा को कम या वेशी करने का अथवा नक्शे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट ने 1996 (3) आर.बी.जे पेज 09 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भू प्रबन्ध संबंधी कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरूस्त करवाया जा सकता है। इसी प्रावधान के आधार पर रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अदालत मातहत द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन करने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 को पारित किया है, जिसमें कोई अवैद्यानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि साविक खसरा नंबर 1520 से नहीं बनकर अन्य खसरा नंबर 1610, 1611 व 1614 से आई है। यदि साविक खसरा नंबर 1520 से अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित खसरा नम्बरान बनाए गए हों तो ही रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में कम आये रकबे की पूर्ति की जा सकती थी, परन्तु इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा नजरांदाज किया गया। रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में स्थित भूमि गैर मुमकिन पोखर में चली गई है। इसलिए अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि से रकबे की पूर्ति कराने का रैस्पोडेन्ट को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तथा बहस में वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.बी.जे 2022 पेज 618 से 621 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकारों को सुने बिना दिया गया आदेश पोषणीय नहीं है, परन्तु वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को नियमित वाद के माध्यम से ही दुरूस्त करवाया जा सकता है, मानने योग्य नहीं है। क्योंकि वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर 1996 (3) आर.बी.जे पेज 9 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान की गई त्रुटि को भू अभिलेख अधिकारी द्वारा राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरूस्त किया जा सकता है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में भी रैस्पोडेन्ट की ओर से भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराने बाबत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर जो

14.8.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कि भू अभिलेख अधिकारी है, के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकारिता के तहत ही निर्णित किया गया है। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि रैस्पोडेन्ट की ओर से विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया गया था, जो कि खारिज किए जाने के कारण रैस्पोडेन्ट की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। उक्त तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया था। इस संबंध में वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.बी.जे (17) 2010 पेज 207 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार दावा गुणावगुण के बजाय अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने की स्थिति में सी.पी.सी के आदेश 11 में वर्णित रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त प्रकरण में भी रैस्पोडेन्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद दिनांक 09.02.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ है। इसलिए रैस्पोडेन्ट की ओर से भू राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकने की बाध्यता नहीं है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार भरतपुर को रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया है, जिसके क्रम में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.06.2018 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि खसरा नंबर 1293 साविक खसरा नंबर 1520 से बना है जिस पर वादी भोला का कभी कब्जा नहीं रहा। हाल खसरा नंबर 1291, 1292 व 1294 रकबा 0.55 हैक्टेयर बना है जो साविक रकबा से वेशी है, परन्तु साविक खसरा नंबर 1520 मिन का भाग नहीं है। वादी द्वारा हाल व गत नक्शे में पड़ोसी खातेदार का रकबा 24 एयर अपना होना बताया, जो कि स्वीकार योग्य नहीं है। वादी वर्तमान में साविक खसरा नंबर 1520 मिन रकबा दो बीघा किसी भी भाग पर काबिज नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 के अनुसार वादी साविक खसरा नम्बर 1520 रकबा 2 बीघा का गैर मुमकिन खातेदार दर्ज है। वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 09.02.2017 को खारिज कर दिया गया था। वादी द्वारा दुरूस्ती वाद में खसरा नंबर 1291, 1292 व 1294 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। कब्जे के अभाव व निर्णय दिनांक 09.02.2017 के अनुसार वादी का दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं बताया गया। इससे पूर्व दिनांक 21.04.2017 को अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में सी.पी.सी के आदेश 1

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

14.6.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नियम 10 के तहत भोला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 07.06.2018 को स्वीकार किया गया तथा रैस्पोडेन्ट को संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसकी पालना में रैस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 10.06.2019 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत ने रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार जवाब भी प्रस्तुत किया गया तथा सरकारी पैरोकार द्वारा दिनांक 13.07.2020 को इस आशय का जवाब पेश किया गया कि पत्रावली में संलग्न निर्णय व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण शुद्धि के काबिल नहीं है। इसके बाद अदालत मातहत द्वारा दिनांक 10.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बछामदी में उभयपक्षकारान के उपस्थित होने का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जिसमें जमाबन्दी सम्वत 2067–70, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 1018 व नक्शा साविक व हाल का अवलोकन करने के बाद यह मानते हुए कि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी का रकबा कम किया गया व अप्रार्थी का रकबा वेशी किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित है। हाल नक्शा व साविक नक्शे के अवलोकन से यह मानते हुए कि प्रार्थी व अप्रार्थी का रकबा आपस में चिपटेमा है तथा पास–पास स्थित है। इसलिए प्रार्थी रकबे में कमी पूर्ति कराने व तरमीम कराने का अधिकारी है। इस आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 1294 रकबा 0.27 में से 0.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1291 रकबा 0.15 में से 0.07 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1292 रकबा 0.13 में से 0.07 हैक्टेयर कुल 24 एयर रकबा कम कर खसरा नंबर 1293 की पूर्ति किए जाने के आदेश देने के साथ–साथ नक्शे में तरमीम किए जाने के आदेश दिए हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 1291, 1292 व 1294 साविक खसरा नंबर 1611 मिन, 1610 व 1614 से बने हैं तथा खसरा नंबर 1293 साविक खसरा नंबर 1520 मिन से बनाया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में स्थित साविक भूमि को अपीलान्टस की खातेदारी में दर्ज किया गया हो। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में भी अदालत मातहत द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया और न ही सरकारी पैरोकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों के बारे में ही कोई अभिमत अपीलाधीन निर्णय में दिया गया है। केवल मात्र यह मानकर की बन्दोवस्त विभाग को किसी भी खातेदार के रिकार्ड को कम या वेशी करने तथा नक्शे में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय में यह उल्लेख करते हुए कि रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में स्थित साविक खसरा नंबर 1520 मिन रकबा 2 बीघा से हाल खसरा नंबर 1293 रकबा 0.04 हैक्टेयर बनाया है जो 28 एयर बनना चाहिए दूसरी ओर अपीलान्ट/अप्रार्थी की खातेदारी में स्थित भूमि का रकबा 24 एयर अधिक बनने का उल्लेख करते हुए रकबे की पूर्ति अपीलान्टस/अप्रार्थीगण की

14.8.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

खातेदारी में स्थित भूमि से किए जाने का आदेश पारित किया गया है। परन्तु अपीलान्टस की खातेदारी में सैटलमेंट से पूर्व कितनी भूमि दर्ज थी, इसका कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में नहीं है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 10.11.2021 को राजस्व कैम्प में उपस्थित होने बाबत पत्रावली पर हस्ताक्षर कराए गए थे, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात का अवलोकन किए बिना व पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट व सरकारी पैरोकार की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि अपीलाधीन निर्णय से स्पष्ट है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.11.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने तथा विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार भरतपुर से मौका रिपोर्ट मंगवाने, साविक व हाल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल आदि का भलीभांति का अवलोकन कर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर